निबंधन सं0 पी0 टी0—40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1929 (श0)

(सं0 पटना 810) पटना, वृहस्पतिवार, 13 सितम्बर 2007

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

अधिसूचनाएं

23 अगस्त 2007

सं०-म०/बैठक-08/99/3064—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा में भर्त्ती/प्रोन्नति के कार्यान्वयन एवं नियंत्रण के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सेवा-भर्त्ती हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम,विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्त्ती नियमावली, 2007 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ । - जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में —

(i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(ii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग ;

(iii) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है निदेशक मत्स्य, बिहार ;

(iv) ''विभाग'' से अभिप्रेत है पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग ;

(v) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है नियमावली के साथ उपाबद्ध परिशिष्ट ।

3. सेवा/संवर्ग का संगठन।- (1) इस सेवा या संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे :-

(i) निदेशक मत्स्य/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप-मत्स्य निदेशक/ सहायक मत्स्य निदेशक/जिला मत्स्य पदाधिकारी;

(ii) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/सहायक अभियन्ता ;

(iii) मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/कनीय अभियन्ता ।

(2) इस नियमावली के आरम्भ होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।

4. मंजूर किया गया बल।- प्रत्येक संवर्ग के सम्बन्ध में प्राधिकृत बल वही माना जायेगा, जो परिशिष्ट-। के कॉलम 3 तथा 14 में अंकित है ।

5. आरक्षण।- भर्त्ती एवं प्रोन्नति में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अधिसूचना के अनुसार आरक्षण एवं प्रोन्नति के प्रावधान लागू होंगे।

6. भर्त्ती।- सेवा संवर्ग में परिशिष्ट-। की कंडिका-5 में इंगित मंजूर किए गए बल के प्रतिशत के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसाओं पर सीधी नियुक्ति के माध्यम से भर्त्ती की जायेगी।

7. अहर्ताएं। -सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं वही होंगी, जो इस नियमावली के परिशिष्ट-। की कॉलम की कंडिका-7 में उल्लिखित की जाएगी।

8. परिवीक्षा एवं कालावधि।- सेवा संवर्ग में यह लागू नहीं होगा जैसा कि परिशिष्ट-। की कंडिका-9 में इंगित किया गया। यह स्वतः लागू होगा यदि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिवीक्षा एवं कालावधि पुनरीक्षित की गयी हो।

9. प्रशिक्षण।- सेवा संवर्ग में प्रशिक्षण लागू नहीं होगा जैसा कि परिशिष्ट-। की कंडिका-10 में इंगित किया गया है।

10. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।- सेवा संवर्ग में विभागीय अधिसूचना संख्या-167, दिनांक 27 जनवरी 1967 के अनुसार विभागीय परीक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम होंगे जैसा कि परिशिष्ट-। की कंडिका-11 में उल्लिखित किए जायेंगे ।

11. प्रोन्नति।- सेवा संवर्ग में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नियत कालावधि एवं प्रतिशत के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति दी जायेगी जैसा कि परिशिष्ट-। की कंडिका-12 तथा 13 में उल्लिखित है ।

12. नियुक्ति के लिए निरर्हता- (क) कोई व्यक्ति जो सिद्ध दोष अथवा मानसिक रुप से अस्वस्थ अथवा दिवालिया हो, इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

(ख) कोई व्यक्ति जो पति या पत्नी के रुप में रह रहे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा करने का अनुबंध किया हो, अथवा

(ग) कोई व्यक्ति, जो पति या पत्नी के रूप में रह रहा हो, यदि उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा करने का अनुबन्ध किया हो, इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

13. इस नियमावली के किसी प्रावधान को शिथिल करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति।-राज्य सरकार को समुचित मामलों में इस नियमावली के किसी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

14. निरसन एवं व्यावृति।- (1) इस नियमावली के आरम्भ होने की तिथि के प्रभाव से पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली, 1993 एतद द्वारा निरसित की जाती है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मचारी चन्द्रशेखर प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-I

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सेवा-भर्त्ती नियमावली 2007

क्र. स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निदेशक मत्स्य	1	रु० 12000-16500	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित पदाधिकारी होंगे - 1. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य - अध्यक्ष 2. सचिव, सहकारिता विभाग सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग 3. विभागीय सचिव - सदस्य 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि - सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य (जो संयुक्त सचिव से न्यून पक्ति के न हों) नोटः विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।	1	1	रु० 12000-16500	लागू नही	वरीयता सह सुयोग्यता के आधार पर जिन्हें कम से कम (5) वर्षों तक संयुक्त मत्स्य निदेशक के पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
2	संयुक्त मत्स्य निदेशक	4 (चार)	रु० 10000-15200	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित पदाधिकारी होंगे - 1. कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष 2. सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य 3. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग - सदस्य 4. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों - सदस्य 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य (जो संयुक्त सचिव से न्यून पक्ति के न हों) नोटः विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	4	4	रु० 10000-15200	निदेशक मत्स्य	वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 5 (पांच) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो एवं उप मत्स्य निदेशक के पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो ।

क्र.सं.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
3	उप मत्स्य निदेशक	8 (आठ)	रु० 8000-13500	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित पदाधिकारी होंगे - 1. कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष 2. सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य 3. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग - सदस्य 4. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों - सदस्य 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य (जो संयुक्त सचिव से न्यून पक्ति के न हों) नोट: विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	8	8	रु० 8000-13500	निदेशक मत्स्य	जिला मत्स्य पदा.-सह-मुख्य कार्यपालक पदा./सहायक मत्स्य निदेशक के सम्वर्गीय पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 5 (पाँच) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
4	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक मत्स्य निदेशक	35	रु० 6500-10500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परीक्ष्यमान - अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित पदाधिकारी होंगे - 1. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित आयोग के सदस्य - अध्यक्ष 2. सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य 3. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग - सदस्य 4. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों - सदस्य 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य (जो संयुक्त सचिव से न्यून पक्ति के न हों) नोटः विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	35	35	रु० 6500-10500	निदेशक मत्स्य	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 5 (पाँच) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
5	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी	119	रु० 5500-9000	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकर (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नहीं	मत्स्य विभाग की अधिसूचना संख्या 167, दि.27.1.1967 में निहित विभागीय परीक्षा ।	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे- 1. कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष । 2. सचिव सहकारिता विभाग - सदस्य । 3. सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य । 4. विभागीय सचिव सदस्य । 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी - सदस्य । 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनु./जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य 7. निदेशक मत्स्य सदस्य सचिव । नोट: प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	30	119	रु० 5500-9000	निदेशक मत्स्य	मत्स्य निरीक्षक संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 3 (तीन) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
6	मत्स्य निरीक्षक	51	रु० 5000-8000	लगू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नहीं

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	विभागीय परीक्षा जो मत्स्य विभाग की अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 27.1.1967 में निहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य होंगे। 1. मत्स्य निदेशक - अध्यक्ष 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनु०)- सदस्य 3. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई०) - सदस्य 4. अनु० जाति/जनजाति के विभागीय पदाधिकारी जो उप मत्स्य निदेशक से न्यून स्तर के न हों - सदस्य 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०) - सदस्य सचिव नोटः विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	51	51	रु० 5000-8000	निदेशक मत्स्य	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 3 (तीन) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
7	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	179	रु० 4500-7000	बिहार कर्मचारी चयन अयोग	न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	बी. एस. सी. इन्डस्ट्रीयल फिशरीज (ऑनर्स) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुम्बई के केन्द्र से इनलेण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स।	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य होंगे। 1.मत्स्य निदेशक- अध्यक्ष 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनु०) - सदस्य 3. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा.प.इ) - सदस्य 4. अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी जो उप मत्स्य निदेशक से न्यून स्तर के न हों - सदस्य 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०) - सदस्य सचिव नोट: विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।	45	179	रु० 4500-7000	निदेशक मत्स्य	प्रयोगशाला सहायक/ दक्ष मछुआ/मछुआ/ मत्स्य रक्षक के वैसे पदधारकों से जो कम से कम प्रवेशिकोत्तीर्ण हों और जिन्हें 5 (पाँच) वर्षों के विभागीय कार्य का अनुभव प्राप्त हो। प्रोन्नति हेतु उम्मीदवारों को निदेशक मत्स्य द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा जिसके परीक्षाफल के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
8	प्रयोगशाला सहायक	1	रु० 3200-4900	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	आई. एस.सी. (बायोलोजी)	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	-	1	रु० 3200-4900	निदेशक मत्स्य	

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
9	दक्ष मछुआ	4	रु० 3050-4590	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	आई. एससी. (बायोलोजी) । अतिरिक्त योग्यता - नाव चलाना/तैरना	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नहीं	लागू नही	-	4	रु० 3050-4590	निदेशक मत्स्य	-

क.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएं	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मछुआ/मत्स्य रक्षक एवं एक्योरियम अटेंडेन्ट	342+1	रु० 2610-3540	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	मैट्रीक । अतिरिक्त योग्यता जाल बुनने/जाल चलाने/तैरने का अनुभव ।	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	342+1	रु० 2610-3540	निदेशक मत्स्य	

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
11	मत्स्य निदेशक के सचिव	1	रु० 5500-9000	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	स्नातक (विज्ञान में) जिसमें एक विषय जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान हो साथ ही कम्प्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा एवं हिन्दी शार्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी शार्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की जानकारी हो।	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	1	रु० 5500-9000	निदेशक मत्स्य	

क.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
12	मत्स्य सांख्यिकी पदाधिकारी	1	रु० 5500-9000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नहीं	विभागीय परीक्षा जो मत्स्य विभाग की अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 27.1.1967 में निहित है, उत्तीर्ण हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य होंगे : 1. मत्स्य निदेशक - अध्यक्ष । 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनु०) - सदस्य । 3. संयुक्त मत्स्य निदेशक - सदस्य । 4. अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी जो उप मत्स्य निदेशक से न्यून स्तर के न हो - सदस्य । 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०) - सदस्य सचिव । विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी	1	1	रु० 5500-9000	निदेशक मत्स्य	सांख्यिकी सहायक संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 5 (पाँच) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
13	सांख्यिकी सहायक	1	रु० 5000-8000	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी** - आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	सांख्यिकी विषय में प्रतिष्टा (ऑनर्स) के साथ स्नातक की डिग्री।	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	-	1	रु० 5000-8000	निदेशक मत्स्य	-

615

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
14	कार्यपालक अभियंता	1 (एक)	रु० 10000-15200	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित पदाधिकारी होंगे - 1. कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष 2. सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य 3. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग - सदस्य 4. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों - सदस्य 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य (जो संयुक्त सचिव से न्यून पंक्ति के न हों) नोटः विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	1	1	रु० 10000-15200	निदेशक मत्स्य	वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 8 (आठ) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो एवं सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो ।

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
15	सहायक अभियन्ता	5	रु० 6500-10500	बिहार लोक सेवा आयोग	बिहार सरकार के अभियन्त्रण कार्य विभागों की नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली का अनुशरण किया जाएगा ।	बिहार सरकार के अभियन्त्रण कार्य विभागों की नियुक्ति/ प्रोन्नति नियमावली के अनुरुप	पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

पीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नहीं	विभागीय परीक्षा जो मत्स्य विभाग की अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 27.1.1967 में निहित विभागीय निम्न एवं उच्च लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे- 1. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य - अध्यक्ष 2. सचिव सहकारिता विभाग - सदस्य 3. सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य 4. विभागीय सचिव -सदस्य 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून कोटि के पदाधिकारी - सदस्य 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ जनजाति के एक पदाधिकारी - सदस्य 7. निदेशक मत्स्य - सदस्य नोटः प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।	बिहार सरकार के अभियंत्रण कार्य विभागों की नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली के अनुरुप ।	5	रु० 6500-10500	निदेशक मत्स्य	कनीय अभियन्ता संवर्ग के पदधारकों से वरीयता-सह-सयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 6 (छः) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
16	कनीय अभियन्ता	31	रु० 5000-8000	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	बिहार सरकार के अभियन्त्रण कार्य विभागों की नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली का अनुशरण किया जाएगा।	बिहार सरकार के अभियन्त्रण कार्य विभागों की नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली के अनुरुप	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही		31	रु० 5000-8000	निदेशक मत्स्य	

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
17	आइस प्लांट मिस्त्री	3	रु० 3050-4590	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकर (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - *आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	मैट्रीक पास तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई., इलैक्ट्रीकल का सर्टिफिकेट ।	पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नहीं	-	3	रु० 3050-4590	निदेशक मत्स्य	

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
18	सारंग सह मैकेनिक	1	रु० 4000-6000	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकर (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	मैट्रीक पास तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई., इलैक्ट्रीकल का सर्टिफिकेट ।	पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही		1	रु० 4000-6000	निदेशक मत्स्य	

क्र.स.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
19	प्रधान-लिपिक-सह-लेखापाल एवं लेखापाल	34+1 कुल 35	रु० 4500-7000	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

परीक्ष्यमान - अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नही	लागू नही	मत्स्य विभाग की अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 27.1.1967 में निहित परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य होंगे। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी 1. मत्स्य निदेशक - अध्यक्ष 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनु०) - सदस्य 3. संयुक्त मत्स्य निदेशक - सदस्य 4. अनु० जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी जो उप मत्स्य निदेशक से न्यून स्तर के न हों - सदस्य 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०) - सदस्य सचिव ।	34+1 कुल 35	34+1 कुल 35	रु० 4500-7000	निदेशक मत्स्य	उच्च वर्गीय लिपिक के पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 5 (पाँच) वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो ।

क्र.सं.	संवर्ग/पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यतायें	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8
20	निम्न वर्गीय लिपिक	51	रु० 3050-4590	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम वही जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के आलोक में आदेशानुसार सरकार कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** - आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि होगी।	न्यूनतम मैट्रीक/टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान ।	पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	पदों की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16	17
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रधान लिपिक में प्रोन्नति वाली विभागीय प्रोन्नति समिति ।	51 (उच्च वर्गीय लिपिक)	-	रु० 4000-6000	निदेशक मत्स्य	कालावधि 8 वर्ष नोटः इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व से 4000-6000 के वेतनमान में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित समझे जायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संयुक्त सचिव।